कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1115 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 21 दिसम्बर, 2015

सेवा में,

श्री सुरेन्द्र पाल गाबा,
पुत्र श्री नन्द लाल गाबा,
नि0 ग्राम कनकपुर, पो0ओ0 प्रतापपुर,
तह0 किच्छा, जिला उधमसिंहनगर।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैः–

2. बिन्दु संख्या–01 एवं बिन्दु संख्या 02 तक में वांछित सूचना के क्रम में परिसीमन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है।

3. बिन्दु संख्या–03 एवं बिन्दु संख्या 06 में चाही गयी सूचना के क्रम में परिसीमन अधिनियम, 2002 की प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है।

4. बिन्दु संख्या–04 में चाही गयी सूचना संलग्न प्रेषित की जा रही है।

5. बिन्दु संख्या–05 में चाही गयी सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अवगत कराना है कि ऐसा कोई विवरण/सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। अर्थात वांछित सूचना उपलब्ध कराई जानी सम्भव नहीं है।

6. बिन्दु संख्या–07 में चाही गयी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय, उधमसिंहनगर से संबंधित है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैंः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 1115 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, उधमसिंहनगर को इस आशय से प्रेषित की बिन्दु संख्या–07 पर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

UTTARANCHAL

PAPER-3

ASSEMBLY CONSTITUENCIES AND PERCENTAGE OF SC POPULATION - DISTRICT WISE

Sl. No.	No. & Name of Assembly Constituency	2001 CENSUS POPULATION			
		TOTAL	SCs	% of SCs	SC Seats
	UTTARKASHI	**295013**	**67467**	**22.87**	**ONE**
1	1. PUROLA (SC)	91965	27178	29.55	1
2	2. YAMUNOTRI	90593	23164	25.57	
3	3. GANGOTRI	112455	17125	15.23	
	CHAMOLI	**370359**	**67539**	**18.24**	**ONE**
6	5. THARALI (SC)	127242	26340	20.70	2
4	4. BADRINATH	128564	22728	17.68	
5	6. KARNPRAYAG	114553	18471	16.12	
	RUDRYAPRAYAG	**227439**	**40311**	**17.72**	**NONE**
7	7. KEDARNATH	109254	20309	18.59	
8	8. RUDRAPRAYAG	118185	20002	16.92	
	TEHRI GARHWAL	**604747**	**87325**	**14.44**	**ONE**
9	9. GHANSHALI (SC)	108692	19289	17.75	3
10	14. DHANOLTI	98388	17331	17.61	
11	10. DEOPRAYAG	91918	15544	16.91	
12	12. PRATAPNAGAR	98100	14216	14.49	
13	13. TEHRI	105831	11398	10.77	
14	11. NARENDRANAGAR	101818	9547	9.38	
	DEHRADUN	**1282143**	**173448**	**13.53**	**ONE**
15	15. CHAKRATA (ST)	118667	33905	28.57	
16	20. RAJPUR ROAD (SC)	135476	22360	16.50	4
17	22. MUSSOORIE	133112	19737	14.83	
18	23. DOIWALA	117751	16377	13.91	
19	16. VIKASNAGAR	115787	14778	12.76	
20	17. SAHASPUR	132311	15810	11.95	
21	19. RAIPUR	120714	13169	10.91	
22	18. DHARAMPUR	129741	13785	10.63	
23	24. RISHIKESH	139925	13065	9.34	
24	21. DEHRADUN CANTT.	138659	10462	7.55	

Contd.

Sl. No.	No. & Name of Assembly Constituency	2001 CENSUS POPULATION			
		TOTAL	SCs	% of SCs	SC Seats
	HARDWAR	**1447187**	**313976**	**21.70**	**THREE**
25	29. JHABRERA (SC)	130305	40833	31.34	5
26	28. BHAGWANPUR (SC)	133213	37294	28.00	6
27	27. JWALAPUR (SC)	134381	32860	24.45	7
28	32. KHANPUR	152012	36091	23.74	
29	34. LAKSAR	116675	27322	23.42	
30	33. MANGLORE	132727	27556	20.76	
31	30. PIRANKALIYAR	119970	24216	20.19	
32	35. HARDWAR RURAL	134042	26979	20.13	
33	26. B.H.E.L. RANIPUR	133121	24045	18.06	
34	25. HARDWAR	130365	20950	16.07	
35	31. ROORKEE	130376	15830	12.14	
	GARHWAL	**697078**	**106653**	**15.30**	**ONE**
36	37. PAURI (SC)	121948	26672	21.87	8
37	39. CHAUBATTAKHAL	115599	19092	16.52	
38	40. LANSDOWNE	106243	15923	14.99	
39	38. SRINAGAR	131519	19305	14.68	
40	36. YAMKESHWAR	103962	12134	11.67	
41	41. KOTDWAR	117807	13527	11.48	
	PITHORAGARH	**462289**	**106449**	**23.03**	**ONE**
42	45. GANGOLIHAT (SC)	122117	35648	29.19	9
43	43. DIDIHAT	106243	24817	23.36	
44	44. PITHORAGARH	126294	26079	20.65	
45	42. DHARCHULA	107635	19905	18.49	
	BAGESHWAR	**247163**	**63827**	**25.82**	**ONE**
46	47. BAGESHWAR (SC)	130933	35433	27.06	10
47	46. KAPKOTE	116230	28394	24.43	
	ALMORA	**632866**	**141127**	**22.30**	**ONE**
48	51. SOMESHWAR (SC)	98169	28167	28.69	11
49	53. JAGESHWAR	107609	26145	24.30	
50	52. ALMORA	105999	23986	22.63	
51	48. DWARAHAT	107718	23814	22.11	
52	50. RANIKHET	102490	21167	20.65	
53	49. SALT	110881	17848	16.10	

Contd.

Sl. No.	No. & Name of Assembly Constituency	2001 CENSUS POPULATION TOTAL	SCs	% of SCs	SC Seats
	CHAMPAWAT	**224542**	**38098**	**16.97**	**NONE**
54	54. LOHAGHAT	117518	21029	17.89	
55	55. CHAMPAWAT	107024	17069	15.95	
	NAINITAL	**762909**	**148184**	**19.42**	**ONE**
56	58. NAINITAL (SC)	136178	38539	28.30	12
57	57. BHIMTAL	122804	32341	26.34	
58	61. RAMNAGAR	119183	28037	23.52	
59	60. KALADHUNGI	129702	20671	15.94	
60	56. LALKUWA	116730	15894	13.62	
61	59. HALDWANI	138312	12702	9.18	
	UDHAMSINGH NAGAR	**1235614**	**162782**	**13.17**	**ONE**
62	64. BAJPUR (SC)	151803	31802	20.95	13
63	62. JASPUR	142903	22373	15.66	
64	67. KICHHA	130575	19730	15.11	
65	66. RUDRAPUR	143522	20537	14.31	
66	70. KHATIMA	123982	17074	13.77	
67	63. KASHIPUR	148360	17151	11.56	
68	65. GADARPUR	140978	14148	10.04	
69	68. SITARGANJ	128528	11733	9.13	
70	69. NANAK MATTA (ST)	124963	8234	6.59	

UTTARANCHAL

PAPER-4

ASSEMBLY CONSTITUENCIES AND PERCENTAGE OF ST POPULATION

Sl. No.	No. & Name of Assembly Constituency	2001 CENSUS POPULATION TOTAL	STs	% of STs	ST Seats
1	15. CHAKRATA (ST)	118667	73127	61.62	1
2	69. NANAK MATTA (ST)	124963	43382	34.72	2
3	70. KHATIMA	123982	30226	24.38	
4	42. DHARCHULA	107635	16463	15.30	
5	16. VIKASNAGAR	115787	9844	8.50	
6	65. GADARPUR	140978	11721	8.31	
7	64. BAJPUR (SC)	151803	11760	7.75	
8	17. SAHASPUR	132311	10142	7.67	
9	68. SITARGANJ	128528	8787	6.84	
10	4. BADRINATH	128564	8679	6.75	
11	61. RAMNAGAR	119183	2981	2.50	
12	35. HARDWAR RURAL	134042	2876	2.15	
13	24. RISHIKESH	139925	2842	2.03	
14	63. KASHIPUR	148360	2599	1.75	
15	3. GANGOTRI	112455	1920	1.71	
16	46. KAPKOTE	116230	1421	1.22	
17	66. RUDRAPUR	143522	1571	1.09	
18	41. KOTDWAR	117807	1247	1.06	
19	43. DIDIHAT	106243	1105	1.04	
20	44. PITHORAGARH	126294	1265	1.00	
21	5. THARALI (SC)	127242	1061	0.83	
22	1. PUROLA (SC)	91965	721	0.78	
23	21. DEHRADUN CANTT.	138659	926	0.67	
24	6. KARNPRAYAG	114553	744	0.65	
25	52. ALMORA	105999	662	0.62	
26	55. CHAMPAWAT	107024	666	0.62	
27	56. LALKUWA	116730	662	0.57	
28	19. RAIPUR	120714	652	0.54	
29	22. MUSSOORIE	133112	704	0.53	
30	59. HALDWANI	138312	638	0.46	
31	23. DOIWALA	117751	512	0.43	
32	47. BAGESHWAR (SC)	130933	522	0.40	
33	13. TEHRI	105831	417	0.39	

Contd.

Sl. No.	No. & Name of Assembly Constituency	2001 CENSUS POPULATION			
		TOTAL	STs	% of STs	ST Seats
34	45. GANGOLIHAT (SC)	122117	446	0.37	
35	20. RAJPUR ROAD (SC)	135476	455	0.34	
36	58. NAINITAL (SC)	136178	338	0.25	
37	57. BHIMTAL	122804	229	0.19	
38	14. DHANOLTI	98388	148	0.15	
39	67. KICHHA	130575	169	0.13	
40	37. PAURI (SC)	121948	136	0.11	
41	7. KEDARNATH	109254	111	0.10	
42	18. DHARAMPUR	129741	125	0.10	
43	50. RANIKHET	102490	97	0.09	
44	60. KALADHUNGI	129702	113	0.09	
45	38. SRINAGAR	131519	106	0.08	
46	36. YAMKESHWAR	103962	67	0.06	
47	8. RUDRAPRAYAG	118185	75	0.06	
48	54. LOHAGHAT	117518	74	0.06	
49	11. NARENDRANAGAR	101818	57	0.06	
50	25. HARDWAR	130365	65	0.05	
51	2. YAMUNOTRI	90593	44	0.05	
52	48. DWARAHAT	107718	51	0.05	
53	26. B.H.E.L. RANIPUR	133121	63	0.05	
54	51. SOMESHWAR (SC)	98169	43	0.04	
55	12. PRATAPNAGAR	98100	40	0.04	
56	30. PIRANKALIYAR	119970	47	0.04	
57	31. ROORKEE	130376	50	0.04	
58	9. GHANSHALI (SC)	108692	26	0.02	
59	39. CHAUBATTAKHAL	115599	20	0.02	
60	40. LANSDOWNE	106243	18	0.02	
61	53. JAGESHWAR	107609	16	0.01	
62	32. KHANPUR	152012	21	0.01	
63	49. SALT	110881	9	0.01	
64	29. JHABRERA (SC)	130305	8	0.01	
65	27. JWALAPUR (SC)	134381	5	0.00	
66	62. JASPUR	142903	5	0.00	
67	10. DEOPRAYAG	91918	3	0.00	
68	34. LAKSAR	116675	3	0.00	
69	28. BHAGWANPUR (SC)	133213	1	0.00	
70	33. MANGLORE	132727	0	0.00	

UTTARANCHAL

PAPER-5

ASSEMBLY CONSTITUENCIES AND PERCENTAGE OF SC AND ST POPULATION – DISTRICT WISE

No. & Name of Assembly Constituency	2001 CENSUS POPULATION				
	TOTAL	SCs	STs	% of SCs	% of STs
UTTARKASHI	**295013**	**67467**	**2685**	**22.87**	**0.91**
1. PUROLA (SC)	91965	27178	721	29.55	0.78
2. YAMUNOTRI	90593	23164	44	25.57	0.05
3. GANGOTRI	112455	17125	1920	15.23	1.71
CHAMOLI	**370359**	**67539**	**10484**	**18.24**	**2.83**
4. BADRINATH	128564	22728	8679	17.68	6.75
5. THARALI (SC)	127242	26340	1061	20.70	0.83
6. KARNPRAYAG	114553	18471	744	16.12	0.65
RUDRYAPRAYAG	**227439**	**40311**	**186**	**17.72**	**0.08**
7. KEDARNATH	109254	20309	111	18.59	0.10
8. RUDRAPRAYAG	118185	20002	75	16.92	0.06
TEHRI GARHWAL	**604747**	**87325**	**691**	**14.44**	**0.11**
9. GHANSHALI (SC)	108692	19289	26	17.75	0.02
10. DEOPRAYAG	91918	15544	3	16.91	0.00
11. NARENDRANAGAR	101818	9547	57	9.38	0.06
12. PRATAPNAGAR	98100	14216	40	14.49	0.04
13. TEHRI	105831	11398	417	10.77	0.39
14. DHANOLTI	98388	17331	148	17.61	0.15
DEHRADUN	**1282143**	**173448**	**99329**	**13.53**	**7.75**
15. CHAKRATA (ST)	118667	33905	73127	28.57	61.62
16. VIKASNAGAR	115787	14778	9844	12.76	8.50
17. SAHASPUR	132311	15810	10142	11.95	7.67
18. DHARAMPUR	129741	13785	125	10.63	0.10
19. RAIPUR	120714	13169	652	10.91	0.54
20. RAJPUR ROAD (SC)	135476	22360	455	16.50	0.34
21. DEHRADUN CANTT.	138659	10462	926	7.55	0.67
22. MUSSOORIE	133112	19737	704	14.83	0.53
23. DOIWALA	117751	16377	512	13.91	0.43
24. RISHIKESH	139925	13065	2842	9.34	2.03

Contd.

No. & Name of Assembly Constituency	2001 CENSUS POPULATION				
	TOTAL	SCs	STs	% of SCs	% of STs
HARDWAR	**1447187**	**313976**	**3139**	**21.70**	**0.22**
25. HARDWAR	130365	20950	65	16.07	0.05
26. B.H.E.L. RANIPUR	133121	24045	63	18.06	0.05
27. JWALAPUR (SC)	134381	32860	5	24.45	0.00
28. BHAGWANPUR (SC)	133213	37294	1	28.00	0.00
29. JHABRERA (SC)	130305	40833	8	31.34	0.01
30. PIRANKALIYAR	119970	24216	47	20.19	0.04
31. ROORKEE	130376	15830	50	12.14	0.04
32. KHANPUR	152012	36091	21	23.74	0.01
33. MANGLORE	132727	27556	0	20.76	0.00
34. LAKSAR	116675	27322	3	23.42	0.00
35. HARDWAR RURAL	134042	26979	2876	20.13	2.15
GARHWAL	**697078**	**106653**	**1594**	**15.30**	**0.23**
36. YAMKESHWAR	103962	12134	67	11.67	0.06
37. PAURI (SC)	121948	26672	136	21.87	0.11
38. SRINAGAR	131519	19305	106	14.68	0.08
39. CHAUBATTAKHAL	115599	19092	20	16.52	0.02
40. LANSDOWNE	106243	15923	18	14.99	0.02
41. KOTDWAR	117807	13527	1247	11.48	1.06
PITHORAGARH	**462289**	**106449**	**19279**	**23.03**	**4.17**
42. DHARCHULA	107635	19905	16463	18.49	15.30
43. DIDIHAT	106243	24817	1105	23.36	1.04
44. PITHORAGARH	126294	26079	1265	20.65	1.00
45. GANGOLIHAT (SC)	122117	35648	446	29.19	0.37
BAGESHWAR	**247163**	**63827**	**1943**	**25.82**	**0.79**
46. KAPKOTE	116230	28394	1421	24.43	1.22
47. BAGESHWAR (SC)	130933	35433	522	27.06	0.40
ALMORA	**632866**	**141127**	**878**	**22.30**	**0.14**
48. DWARAHAT	107718	23814	51	22.11	0.05
49. SALT	110881	17848	9	16.10	0.01
50. RANIKHET	102490	21167	97	20.65	0.09
51. SOMESHWAR (SC)	98169	28167	43	28.69	0.04
52. ALMORA	105999	23986	662	22.63	0.62
53. JAGESHWAR	107609	26145	16	24.30	0.01

Contd.

No. & Name of Assembly Constituency	2001 CENSUS POPULATION				
	TOTAL	SCs	STs	% of SCs	% of STs
CHAMPAWAT	**224542**	**38098**	**740**	**16.97**	**0.33**
54. LOHAGHAT	117518	21029	74	17.89	0.06
55. CHAMPAWAT	107024	17069	666	15.95	0.62
NAINITAL	**762909**	**148184**	**4961**	**19.42**	**0.65**
56. LALKUWA	116730	15894	662	13.62	0.57
57. BHIMTAL	122804	32341	229	26.34	0.19
58. NAINITAL (SC)	136178	38539	338	28.30	0.25
59. HALDWANI	138312	12702	638	9.18	0.46
60. KALADHUNGI	129702	20671	113	15.94	0.09
61. RAMNAGAR	119183	28037	2981	23.52	2.50
UDHAMSINGH NAGAR	**1235614**	**162782**	**110220**	**13.17**	**8.92**
62. JASPUR	142903	22373	5	15.66	0.00
63. KASHIPUR	148360	17151	2599	11.56	1.75
64. BAJPUR (SC)	151803	31802	11760	20.95	7.75
65. GADARPUR	140978	14148	11721	10.04	8.31
66. RUDRAPUR	143522	20537	1571	14.31	1.09
67. KICHHA	130575	19730	169	15.11	0.13
68. SITARGANJ	128528	11733	8787	9.13	6.84
69. NANAK MATTA (ST)	124963	8234	43382	6.59	34.72
70. KHATIMA	123982	17074	30226	13.77	24.38

परिसीमन अधिनियम, 2002

(2002 का अधिनियम संख्यांक 33)

[3जून, 2002]

लोक सभा में विभिन्न राज्यों को आबंटित स्थानों का प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का, प्रत्येक राज्य को और ऐसे प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र को जहां विधान सभा है, लोक सभा और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन करने तथा उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम परिसीमन अधिनियम, 2002 है ।

2. परिभाषाएं--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अनुच्छेद" से संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है ;

(ख) "सहयुक्त सदस्य" से धारा 5 के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य अभिप्रेत है ;

(ग) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित परिसीमन आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) "निर्वाचन आयोग" से अनुच्छेद 324 में निर्दिष्ट निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(ड) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है ; और

(च) "राज्य" के अंतर्गत ऐसा संघ राज्यक्षेत्र भी है जिसमें विधान सभा है, किन्तु इसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है ।

3. परिसीमन आयोग का गठन--इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् केन्द्रीय सरकार यथाशक्यशीघ्र, परिसीमन आयोग के नाम से एक आयोग का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य होंगे :--

(क) एक सदस्य, जो ऐसा व्यक्ति होगा, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह आयोग का अध्यक्ष होगा ;

(ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई निर्वाचन आयुक्त, पदेन :

परंतु इस खंड के अधीन किसी सदस्य के रूप में निर्वाचन आयुक्त का नामनिर्देशन करने के पश्चात् इस खंड के अधीन कोई और नामनिर्देशन, धारा 6 के अधीन ऐसे सदस्य की आकस्मिक रिक्ति को भरने के सिवाय, नहीं किया जाएगा ; और

(ग) संबद्ध राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त, पदेन ।

[1][**स्पष्टीकरण**--खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त से--

(i) (मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों से भिन्न) किसी राज्य से संबंधित आयोग के कर्तव्यों के संबंध में अनुच्छेद 243ट के खंड (1) के अधीन उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त अभिप्रेत है ; और

(ii) यथास्थिति, मेघालय राज्य या मिजोरम राज्य या नागालैंड राज्य से संबंधित आयोग के कर्तव्यों के संबंध में, ऐसे प्रयोजनों के लिए उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।]

4. आयोग के कर्तव्य--(1) वर्ष 1971 में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोक सभा में विभिन्न राज्यों को स्थानों के आबंटन का और प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 3 के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा किया गया पुनः समायोजन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आयोग द्वारा किया गया पुनः समायोजन समझा जाएगा ।

---

[1] 2004 के अधिनियम सं0 3 की धारा 2 द्वारा (31-10-2003 से) स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) आयोग उपधारा (1) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा और राज्य विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए वर्ष [1][2001] में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन करेगा :

परंतु जहां ऐसे पुनः समायोजन पर लोक सभा में किसी राज्य के लिए केवल एक स्थान आबंटित किया जाता है वहां उस राज्य से लोक सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए संपूर्ण राज्य एक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र होगा ।

5. सहयुक्त सदस्य--(1) आयोग प्रत्येक राज्य के संबंध में अपने कार्यों में सहायता देने के प्रयोजन के लिए दस व्यक्तियों को अपने साथ सहयुक्त करेगा, जिनमें से पांच व्यक्ति उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य होंगे और पांच व्यक्ति उस राज्य की विधान सभा के सदस्य होंगे :

परंतु जहां किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्यों की संख्या पांच या उससे कम है, वहां ऐसे सभी सदस्य उस राज्य के लिए सहयुक्त सदस्य होंगे और पश्चात्कथित दशा में, सहयुक्त सदस्यों की कुल संख्या दस से उतनी संख्या से कम होगी जितनी से उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या पांच से कम है ।

(2) प्रत्येक राज्य से इस प्रकार सहयुक्त होने वाले व्यक्तियों को, लोक सभा के सदस्यों की दशा में, उस सदन के अध्यक्ष द्वारा, और राज्य विधान सभा के सदस्यों की दशा में, उस विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा की संरचना का सम्यक् ध्यान रखते हुए, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए जाने वाले प्रथम नामनिर्देशन —

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ से एक मास के अंदर विभिन्न विधान सभाओं के अध्यक्षों द्वारा और दो मास के अंदर लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा, किए जाएंगे ; और

(ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसूचित किए जाएंगे, और जहां नामनिर्देशन विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं, वहां लोक सभा के अध्यक्ष को भी संसूचित किए जाएंगे ।

(4) सहयुक्त सदस्यों में से किसी को भी आयोग के किसी विनिश्चय पर मत देने या हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा ।

(5) आयोग को निम्नलिखित को बुलाने की शक्ति होगी—

(क) भारत का महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त या उसका नामनिर्देशिती; या

(ख) भारत का महासर्वेक्षक या उसका नामनिर्देशिती ; या

(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई अन्य अधिकारी ; या

(घ) भौगोलिक सूचना प्रणाली का कोई विशेषज्ञ ; या

(ङ) कोई अन्य व्यक्ति,

जिसकी विशेषज्ञता और ज्ञान को आयोग द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा दी गई सहायता के अतिरिक्त सहायता देने के लिए आवश्यक समझा जाए तथा इस प्रकार बुलाए गए अधिकारी और व्यक्ति आयोग की सहायता करने के लिए कर्तव्यबद्ध होंगे ।

(6) निर्वाचन आयोग का सचिव, आयोग का पदेन सचिव होगा और आयोग के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण के अधीन निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों की सहायता से अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

---

[1] 2004 के अधिनियम सं0 3 की धारा 3 द्वारा "1991" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

6. आकस्मिक रिक्तियां--यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य या किसी सहयुक्त सदस्य का पद मृत्यु या त्यागपत्र के कारण रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति यथासाध्य शीघ्रता से यथास्थिति, धारा 3 या धारा 5 के उपबंधों के अधीन और अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा या संबद्ध अध्यक्ष द्वारा की जाएगी ।

7. आयोग की प्रक्रिया और शक्तियां--(1) आयोग, अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा और अपने कृत्यों का पालन करने में उसे किसी वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:--

(क) साक्षियों को समन करने और उनको हाजिर कराने की ;

(ख) किसी दस्तावेज का पेश किया जाना अपेक्षित करने की ; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करने की ।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से, ऐसी बातों या विषयों के बारे में, जो आयोग की राय में उसके विचाराधीन किसी विषय के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हैं, जानकारी देने के लिए अपेक्षा करने की शक्ति होगी ।

(3) आयोग, अपने सदस्यों में से किसी सदस्य को, उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ग) और उपधारा (2) द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा उन शक्तियों में से किसी के प्रयोग में दिए गए आदेश या किए गए किसी कार्य के बारे में यह समझा जाएगा कि, यथास्थिति, वह आदेश या कार्य आयोग का है ।

(4) यदि सदस्यों की राय में मतभेद है तो बहुमत की राय मानी जाएगी और आयोग के कार्य और आदेश बहुमत के दृष्टिकोण के अनुसार अभिव्यक्त किए जाएंगे ।

(5) इस बात के होते हुए भी कि, कोई सदस्य या सहयुक्त सदस्य अस्थायी रूप से अनुपस्थित है, या आयोग या सहयुक्त सदस्यों के उस या किसी अन्य समूह में रिक्ति विद्यमान है, आयोग तथा सहयुक्त सदस्यों के किसी समूह को कार्य करने की शक्ति प्राप्त होगी और आयोग या किसी सहयुक्त सदस्यों के समूह का कोई कार्य या कार्यवाही केवल ऐसी अस्थायी अनुपस्थिति या ऐसी रिक्ति की विद्यमानता के आधार पर अविधिमान्य या प्रश्नगत नहीं होगी ।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 और धारा 346 के प्रयोजनों के लिए आयोग को एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण--साक्षियो को हाजिर कराने के प्रयोजनों के लिए, आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं भारत के राज्यक्षेत्र की सीमाएं होंगी ।

8. स्थानों की संख्या का पुनः समायोजन--आयोग, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के उपबंधों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के सिवाय संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 3 और धारा 39 तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के संबंध में, अनुच्छेद 239कक के खंड (2) के उपखंड (ख) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा--

(क) वर्ष 1971 में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर और धारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोक सभा में प्रत्येक राज्य के लिए आबंटित स्थानों की संख्या अवधारित करेगा और वर्ष [1][2001] में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उन स्थानों की, यदि कोई हों, संख्या अवधारित करेगी जिन्हें राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाना है ; और

(ख) वर्ष 1971 में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर और धारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए स्थानों की कुल संख्या अवधारित करेगा और वर्ष [1][2001] में हुई जनगणना में अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उन स्थानों की, यदि कोई हों, संख्या अवधारित करेगा जिन्हें राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाना है :

---

[1] 2004 के अधिनियम सं0 3 की धारा 4 द्वारा (31-10-2003 से) '1991' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परंतु खंड (ख) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा के लिए स्थानों की कुल संख्या, खंड (क) के अधीन उस राज्य के लिए लोक सभा में आबंटित स्थानों की संख्या का पूर्णांकी गुणित होगा ।

9. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन--(1) आयोग, प्रत्येक राज्य के लिए लोक सभा में आबंटित स्थानों तथा 1971 की जनगणना के आधार पर यथा पुनः समायोजित प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए स्थानों को इसमें नीचे उपबन्धित रीति से, एक सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में वितरित करेगा, तथा [1][2001] में हुई जनगणना में यथा अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उनका परिसीमन संविधान के उपबंधों और धारा 8 में विनिर्दिष्ट अधिनियम के उपबंधों और निम्नलिखित उपबंधों को भी ध्यान में रखते हुए करेगा, अर्थात् :--

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्र यथासाध्य भौगोलिक रूप में संहृत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय उनकी प्राकृतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखना होगा ;

(ख) प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का परिसीमन इस प्रकार किया जाएगा कि वह संपूर्ण रूप से एक ही संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के अन्दर आ जाएं ;

(ग) उन निर्वाचन-क्षेत्रों को, जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं, राज्य के विभिन्न भागों में वितरित किया जाएगा और यथासाध्य उन्हें उन क्षेत्रों में अवस्थान दिया जाएगा जिनमें पूरी जनसंख्या से उनकी जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है ; और

(घ) उन निर्वाचन-क्षेत्रों को जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं, यथासाध्य ऐसे क्षेत्र में अवस्थान दिया जाएगा जिनमें पूरी जनसंख्या से उनकी जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है ।

(2) आयोग--

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाओं को, किसी ऐसे सहयुक्त सदस्य की, विसम्मत प्रस्थापनाओं सहित, यदि कोई हों, जो उनका प्रकाशन चाहता है, भारत के राजपत्र में और सम्बद्ध राज्यों के राजपत्रों में और ऐसी अन्य रीति से, जो वह उचित समझता है, प्रकाशित करेगा ;

(ख) ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसको या जिसके पश्चात् वह प्रस्थापनाओं पर आगे विचार करेगा ;

(ग) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हो गए हैं, और इस प्रकार विचार करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य में ऐसे स्थान या स्थानों पर, जिन्हें वह उचित समझता है, एक या अधिक सार्वजनिक बैठकें करेगा ; और

(घ) तत्पश्चात् एक या अधिक आदेशों द्वारा प्रत्येक राज्य के --

(i) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन ; और

(ii) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन,

अवधारित करेगा ।

10. आदेशों का प्रकाशन और उनके प्रवर्तन की तारीख--(1) आयोग, धारा 8 या धारा 9 के अधीन किए गए अपने प्रत्येक आदेश को भारत के राजपत्र और संबद्ध राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित करवाएगा और साथ ही ऐसे आदेशों को कम से कम दो देशी भाषा के समाचारपत्रों में प्रकाशित करवाएगा और रेडियो, टेलीविजन और जनता को उपलब्ध अन्य संभव मीडिया में प्रचारित करेगा और संबद्ध राज्यों के राजपत्रों में ऐसे प्रकाशन के पश्चात्, प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी, अपनी अधिकारिता के अधीन के क्षेत्र से संबंधित ऐसे आदेशों के राजपत्रित पाठ को सार्वजनिक सूचना के लिए अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा ।

---

[1] 2004 के अधिनियम सं0 3 की धारा 3 द्वारा (31-10-2003 से) '1991' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर ऐसा प्रत्येक आदेश विधि का बल रखेगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(3) ऐसे प्रकाशन के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, ऐसा प्रत्येक आदेश लोक सभा और संबद्ध राज्यों की विधान सभाओं के समक्ष रखा जाएगा ।

(4) उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सभा में या किसी राज्य विधान सभा में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुन:समायोजन और ऐसे किसी आदेश में उपबंधित उन निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन, उस आदेश के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात्, होने वाले, यथास्थिति, उन लोक सभा या विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में लागू होंगे और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या ऐसी विधि के अधीन जारी किए गए किसी आदेश या अधिसूचना में अंतर्विष्ट ऐसे प्रतिनिधित्व और परिसीमन, जहां तक कि ऐसा प्रतिनिधित्व और परिसीमन इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हो, से संबंधित उपबंधों को अतिष्ठित करते हुए उसी प्रकार लागू होंगे :

[1][परंतु इस उपधारा की कोई बात झारखंड राज्य के संबंध में प्रकाशित परिसीमन आदेशों को लागू नहीं होगी ।]

(5) इस धारा की कोई बात, यथास्थिति, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों या किसी राज्य के विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में आयोग के, जो अंतिम आदेश होते हैं, उनके भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को विद्यमान, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं डालेगी, जब तक लोक सभा या विधान सभा का विघटन नहीं होता है और ऐसी लोक सभा या विधान सभा की किसी रिक्ति की पूर्ति के लिए कोई उपनिर्वाचन उन विधियों और आदेशों के उपबंधों के, जिन्हें उपधारा (4) द्वारा अतिष्ठित किया गया है, आधार पर इस प्रकार किया जाएगा मानो उक्त उपबंधों को अतिष्ठित न किया गया हो ।

(6) आयोग, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपने प्रत्येक आदेश को उस उपधारा में उपबंधित रीति में, धारा 3 के अधीन [2][ऐसी अवधि के भीतर जो 31 जुलाई, 2008 के बाद की नहीं होगी] पूरा करने और उसे प्रकाशित करने का प्रयास करेगा ।

[3][**10क. कतिपय मामलों में परिसीमन का आस्थगन**—(1) धारा 4, धारा 8 और धारा 9 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे भारत की एकता और अखंडता संकट में है या शांति और लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा है, तो वह, आदेश द्वारा, किसी राज्य में परिसीमन कार्रवाई को आस्थगित कर सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

10ख. झारखंड राज्य की बाबत परिसीमन आयोग के आदेश का कोई विधिक प्रभाव न होना—धारा 10 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, झारखंड राज्य की बाबत आदेश का.आ. 63(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2007 और का.आ. 110(अ), तारीख 17 अगस्त, 2007 द्वारा उक्त धारा के अधीन प्रकाशित स्थानों की संख्या के पुन:समायोजन और निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित अंतिम आदेशों का कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा और उक्त आदेशों के प्रकाशन से पूर्व यथाविद्यमान निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन, परिसीमन (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रारंभ के पश्चात् कराए गए, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के लिए प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में वर्ष 2026 तक प्रवृत्त बना रहेगा ।]

11. परिसीमन आदेशों को अद्यतन बनाए रखने की शक्ति—(1) निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में और संबद्ध राज्य के राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा समय-समय पर—

(क) आयोग, धारा 9 के अधीन किए गए आदेशों में से किसी में मुद्रण संबंधी भूल या अनवधानता से हुई किसी भूल या लोप के कारण उसमें उत्पन्न होने वाली किसी गलती को ठीक कर सकेगा ; और

(ख) जहां उक्त आदेशों में से किसी आदेश में वर्णित किसी जिले या किसी प्रादेशिक खण्ड की सीमाओं या उसके नाम में कोई परिवर्तन किए जाते हैं वहां आदेशों को अद्यतन करने के लिए ऐसे संशोधन कर सकेगा जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं, किंतु यह इस प्रकार करेगा कि किसी अधिसूचना से किसी निर्वाचन-क्षेत्र की सीमाओं या क्षेत्रफल या विस्तार में परिवर्तन नहीं होगा ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना को, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, लोक सभा और संबद्ध राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

12. निरसन—परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

---

[1] 2008 के अधिनियम सं0 9 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।
[2] 2008 के अधिनियम सं0 9 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2008 के अधिनियम सं0 9 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय,
जिला उधम सिंह नगर / उत्तराखण्ड

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 कें अन्तर्गत समय सीमा में सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी कों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न बिन्दुओं पर सूचना की आवश्यकता है कृपया प्रार्थी कों समय सीमा कें अन्तर्गत उक्त निम्न बिन्दुओ पर सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करे जिसके लिए प्रार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम की फीस मु0 10/– रू0 का पोस्टल आर्डर सं0 33F 769108 आपकें लोक सूचना अधिकारी के पक्ष में अदा कर रहा है ।

1. यह कि उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में कितनी विधानसभा सीटे है कृप्या पूर्ण विवरण देने की कृपा करे।
2. यह कि उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा चुनाव 2012 में उत्तराखण्ड में कितने नये विधानसभा क्षेत्र बनाये गये है तथा किस आधार पर नई विधानसभा सीटे बनायी गयी है।
3. यह कि उत्तराखण्ड का निर्वाचन परिसीमन किस आधार पर किया गया है जनसंख्या के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर अंथवा अन्य किसी आधार पर किया गया है कृपया बताने का कष्ट करे।
4. यह कि उत्तराखण्ड राज्य में समस्त विधानसभा की जनसंख्या क्रमवार बताने का कष्ट करे।
5. यह कि उत्तराखण्ड राज्य में विधानसभा वार महिला और पुरूषों की जनसंख्या बताने का कष्ट करे।
6. यह कि भारत वर्ष का निवार्चन क्या जनसंख्या के आधार पर होता है या फिर क्षेत्र के आधार पर किया जाता है।
7. यह कि किच्छा विधानसभा क्षेत्र में कितने ब्लॉक एवं कितने ग्राम आते है क्रमवार विवरण देने का कष्ट करे।
8. यह कि अगले अपीलीय अधिकार का नाम पता सहित पूर्ण विवरण देने की कृपाकरे।

दिंनाकः– 10.12.2015

16/12/15 को प्राप्त

प्रार्थी

सुरेन्द्र पाल गाबा पुत्र श्री नन्द लाल गाबा
नि0 ग्राम कनकपुर, पो0ओ0 प्रतापपुर
तह0 किच्छा, जिला उ0सिं0नगर ।
मो0 नं0–9758037875

SP SACHIVALAYA PARISAR
EV539587373IN
Counter No:1,OP-Code:PA1
To:LIO,DHD
RUDRAPUR, PIN:263153
From:CEO , DDN
Wt:20grams,
SS:40.00, ,23/12/2015 ,13:13
Taxes:Rs.5.00<<Track on www.indiapost.gov.

SP SACHIVALAYA PARISAR
EV539587360IN
Counter No:1,OP-Code:PA1
To:SURENDER PAL GABA,NAND LAL GABA
RUDRAPUR, PIN:263153
From:CEO , DDN
Wt:120grams,
SS:46.00, ,23/12/2015 ,13:11
Taxes:Rs.6.00<<Track on www.indiapost

भारत के राजपत्र भाग– ।।
खण्ड–3 (iii) के असाधारण
अंक में तारीख 28 दिसम्बर, 2006
को प्रकाशनार्थ

उत्तरांचल राज्य के राजपत्र
के असाधारण अंक में तारीख
28 दिसम्बर, 2006 को प्रकाशनार्थ

परिसीमन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली – 110001

सं0 282/यूटीए/2006 दिनांकः– 28 दिसम्बर, 2006

7 पौष, 1927 (शक)

अधिसूचना

परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10 की उप धारा (1) के अनुसरण मे, उत्तरांचल राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन के सबंध में अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 9 की उप धारा (2) के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा बनाये गये निम्नलिखित आदेश इसके द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं :–

आदेश सं0 – 35

यतः, परिसीमन संशोधन अधिनियम, 2003 (2004 का 3) द्वारा यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 8 तथा 4 के अनुसरण में भारत के राजपत्र और उत्तरांचल राज्य के राजपत्र के दिनांक 4 सितम्बर, 2006 के असाधारण अंक में प्रकाशित, अपने दिनांक 4 सितम्बर, 2006 के आदेश सं0 29 द्वारा परिसीमन आयोग ने निर्धारित किया है कि (i) उत्तरांचल राज्य में लोक सभा के लिए आवंटित किये जाने वाले कुल स्थानों की संख्या पाँच (5) होगी जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए एक (1) स्थान आरक्षित किया जाएगा और शून्य (0) स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया जाएगा तथा (ii) राज्य की विधान सभा के लिए नियत किए जाने वाले कुल स्थानों की संख्या सत्तर (70) होगी जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए तेरह (13) स्थान आरक्षित किये जाएंगे और अनुसूचित जनजाति के लिए दो (2) स्थान आरक्षित किये जाएंगे, और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 9 की उपधारा (1) के अनुसरण में परिसीमन आयोग ने राज्य के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन के लिए कार्यवाही के लिए राज्य के सह–सदस्यों के साथ अपने आप को सम्बद्ध किया, और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग ने सह सदस्यों के असम्मत प्रस्तावों के साथ अपने प्रस्तावों को प्रकाशित किया जिन्होनें 2001 की जनगणना के सम्बद्ध आकड़ों के आधार पर राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन के लिए भारत सरकार के राजपत्र और उत्तरांचल राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में 4 सितम्बर, 2006 को प्रकाशित करने तथा उक्त प्रस्तावों से संबंधित आपत्तियों और सुझावों को 18 सितम्बर, 2006 तक आमंत्रित करने की इच्छा प्रकट की, और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उक्त उप धारा (2) के अनुसरण में, आयोग के उपर्युक्त वर्णित आदेश सं0 29 और सह–सदस्यों के असम्मत प्रस्तावों सहित परिसीमन आयोग के उक्त सन्दर्भित प्रारूप प्रस्ताव 4 सितम्बर, 2006 को स्थानीय समाचार–पत्रों में भी प्रकाशित किया गया और रेडियो, टेलिविजन और जन संचार के अन्य माध्यमों द्वारा इनका और ज्यादा प्रचार किया गया, और

यतः उस अधिनियम की धारा 9 की उक्त उप धारा (2) के अनुसरण में आयोग ने 4 सितम्बर, 2006 को एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की जिसमें सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के लिए सार्वजनिक बैठकों के स्थान और तारीखें विनिर्दिष्ट की; और

यतः, उस अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (2) के अनुसरण में आयोग ने 9 अक्तूबर, 2006 को नैनीताल में, 12 अक्तूबर, 2006 को पौड़ी में और 13 अक्तूबर, 2006 को देहरादून में सार्वजनिक बैठकें कराई और जनता के सदस्यों को सुना और आयोग को पहले ही भेजे गए लिखित अभ्यावेदनों के साथ–साथ मौखिक प्रस्तुतीकरण यदि कोई हो, करने का पूर्ण अवसर उन्हें प्रदान किया; और

यतः, संविधान के सुसंगत प्रावधानों तथा उक्त अधिनियम के प्रकाश में, उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में आयोग ने ऊपर लिखित आम बैठकों मे दिये गये तथा/अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त सभी आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार किया है ।

अतः अब, यथा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा (4) की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 9 की उप धारा (2) के खण्ड (घ) के अनुसरण में परिसीमन आयोग एतद्द्वारा निम्न रूप से निर्धारित करता है :–

1. राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचनों के उद्देश्य से प्रादेशिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें उत्तरांचल राज्य को बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार सारणी 'क' में दर्शाए अनुसार होगा ।

2. लोक सभा के निर्वाचनों के उद्देश्य से प्रादेशिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें उत्तरांचल राज्य को बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार सारणी 'ख' में दर्शाये अनुसार होगा ।

3. सारणी 'क' या 'ख' में दर्शाये गए किसी निर्वाचन–क्षेत्र का नाम जिसमें उस निर्वाचन–क्षेत्र का अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित है कोष्ठक तथा अक्षरों "(अ0जा0)" द्वारा चिन्हित किया गया है ।

4. सारणी 'क' या 'ख' में दर्शाये गए किसी निर्वाचन–क्षेत्र का नाम जिसमें उस निर्वाचन–क्षेत्र का अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है कोष्ठक तथा अक्षरों "(अ0ज0जा0)"द्वारा चिन्हित किया गया है ।

सारणी – क

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और उनका विस्तार

कम संख्या एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	विस्तार
जिला – उत्तरकाशी	
1–पुरोला (अ0जा0)	1–मोरी तहसील; 2–पुरोला तहसील; 3–राजगढ़ी (बड़कोट) तहसील की 2–नौगांव, 3–बर्नीगाड़ कानूनगो सर्किलें, 4–राजगढ़ी कानूनगो सर्किल की 39–गडोली और 41–गैर (बनाल) पटवारी सर्किलें ।
2–यमुनोत्री	5–चिन्यालीसौड़ तहसील; 3–राजगढ़ी (बड़कोट) तहसील में 4–राजगढ़ी कानूनगो सर्किल की 40–गुलाड़ी, 42–राजगढ़ी, 43–चपटाड़ी, 44–गंगटाड़ी, 45–नगाणगांव पटवारी सर्किलें और 1–बड़कोट कानूनगो सर्किल; 4–डुण्डा तहसील में 1–डुण्डा कानूनगो सर्किल की 50–कल्याणी, 51–जिनेथ, 52–गेंवला (भंडार स्यूं), 53–खुरमोला, 54–जुणगा पटवारी सर्किलें और बड़कोट अधिसूचित

	क्षेत्र।
3–गंगोत्री	6–भटवाड़ी तहसील; 4–डुण्डा तहसील में 1–डुण्डा कानूनगो सर्किल की 46–बड़ेथी, 47–मतली, 48–नाकुरी (बरसाली), 49–बीरपुर (डुण्डा) पटवारीी सर्किलें और 2–भटवाड़ी (धनारी) कानूनगो सर्किल ।
जिला – चमोली	
4–बद्रीनाथ	1–जोशीमठ तहसील; 2–चमोली तहसील का चमोली कानूनगो सर्किल, 2क–चमोली म्युनिसिपल बोर्ड और 3–पोखरी तहसील ।
5–थराली (अ0जा0)	5–थराली तहसील; 2–चमोली तहसील का नन्दप्रयाग कानूनगो सर्किल, नन्दप्रयाग नगरपंचायत और वन क्षेत्र ।
6–कर्णप्रयाग	4–कर्णप्रयाग तहसील और 6–गैरसैंण तहसील ।
जिला – रूद्रप्रयाग	
7–केदारनाथ	1–ऊखीमठ तहसील; 2–रूद्रप्रयाग तहसील का चोपता जाखणी कानूनगो सर्किल ।
8–रूद्रप्रयाग	2–रूद्रप्रयाग तहसील का रूद्रप्रयाग कानूनगो सर्किल, रूद्रप्रयाग नगरपालिका और जखोली तहसील ।
जिला – टिहरी गढ़वाल	
9–घनशाली (अ0जा0)	9–घनशाली तहसील का चमियाला कानूनगो सर्किल, डांगी कानूनगो सर्किल की 4–पौखाल, 5–पिलखी, 6–ठेला, 7–होल्टा, 8–मुयालगावं, 9–डांगी, 10–मैगाधार, 11–अखोड़ी, 12–धौणीखाल, 13–पाख, 14–कठूड़ हिन्दाव, 15–चांजी, 16–पंगरियाणा पटवारी सर्किलें और भिलंगना रेंज पी–3 ।
10–देवप्रयाग	2–देवप्रयाग तहसील की कीर्तिनगर, चन्द्रबदनी कानूनगो सर्किलें, देवप्रयाग एन.ए., देवप्रयाग कानूनगो सर्किल की 37–ललथपाटौ, 38–ललुड़ीखाल, 39–बिड़ाकोट, 40–हिन्डोलाखाल, 41–आमणी, 42–महड़, 43–भटकोट पटवारी सर्किलें और जखणीधार तहसील में जखणीधार कानूनगो सर्किल की 180–पौड़ीखाल, 181–गौमुख, 182–रौड़धार और 183–जगधार पटवारी सर्किलें ।
11–नरेन्द्रनगर	5–नरेन्द्रनगर तहसील; 2–देवप्रयाग तहसील में देवप्रयाग कानूनगो सर्किल की 34–कुर्न, 35–बॉठ, 36–बछेलीखाल, 44–भरपुर और 45–दनसाड़ा पटवारी सर्किलें ।
12–प्रतापनगर	3–प्रतापनगर तहसील; टिहरी तहसील में उदयपुर कानूनगो सर्किल की 106–भल्डियाणा, 107–कांडीखाल, 108–काफलपानी, 109–पाली, 110–सिरांई और 111–पडियारगांव पटवारी सर्किलें; घनसाली तहसील में डांगी कानूनगो सर्किल की 1–मन्दार, 2–देवताधार और 3–चन्द्रेश्वरसैण पटवारी सर्किलें ।

13–टिहरी	4–टिहरी तहसील का चम्बा कानूनगो सर्किल, टिंहरी नगरपालिका और चम्बा एन.ए; 7–जाखणीधार तहसील में जाखणीधार कानूनगो सर्किल की 173–नन्दगाँव, 174–गड़ोलिया, 175–जाखणीधार कोटी, 176–नवाकोट, 177–खण्डोगी, 178–अंजनीसैण और 179–गाराकोट पटवारी सर्किलें ।
14–धनोल्टी	6–धनोल्टी तहसील; 4–टिहरी तहसील में उदयपुर कानूनगो सर्किल की 95–कटखेत, 96–लालुरी, 97–बयाड़गांव, 98–मैण्डखाल, 99–लवाणी, 100–कण्डारखाल, 101–छाम, 102–बंगियाल, 103–कैलार, 104–कमान्द, 105–थौलधार पटवारी सर्किलें और टिहरी रेंज।
जिला – देहरादून	
15–चकराता (अ0ज0जा0)	1–चकराता तहसील; 5–कालसी तहसील और 6–त्यूनी तहसील ।
16–विकासनगर	2–विकासनगर तहसील का विकासनगर कानूनगो सर्किल में 1–बिन्हार पूर्व, 2–बिन्हार पश्चिम, 3–अम्बाडी, 4–पृथ्वीपुर, 5–एनफील्ड ग्रान्ट, 6–ढकरानी, 8–फतेहपुर, 9–वेस्ट होपटाऊन–2, 10–वेस्ट होपटाऊन–1, 11–केदारवाला, 12–रूद्रपुर पटवारी सर्किलें, 11–ए.बी.सी. विकासनगर नगरपालिका परिषद और नगरपंचायत हरबर्टपुर ।
17–सहसपुर	2–विकासनगर तहसील का झाजरा कानूनगो सर्किल, विकासनगर कानूनगो सर्किल की 7–धर्मावाला, 13–सोरना, 24–सहसपुर और 25–जस्सोवाला पटवारी सर्किलें; 3 देहरादून तहसील में देहराखास कानूनगो सर्किल का 1–आरकेडियाग्रान्ट पटवारी सर्किल ।
18–धरमपुर	3–देहरादून तहसील में देहराखास कानूनगो सर्किल की 2–सेवला कलां, 3–माजरा, 4–भारूवाला ग्रान्ट, 5–देहराखास, 6–अजबपुर कलां, 9–कांवली पटवारी सर्किलें, रायपुर कानूनगो सर्किल का क्लेमेन्ट टाऊन कैन्टोनमेन्ट, देहरादून (नगरनिगम) के वार्ड सं0 6, 7, 9, 10, 23, 28, 42, 43, 45 और 53।
19–रायपुर	3–देहरादून तहसील में देहराखास कानूनगो सर्किल का 7–अघोईवाला पटवारी सर्किल, रायपुर कानूनगो सर्किल की 20–गुजराड़ा मानसिंह, 21–डाण्डा लखौन्ड, 22–कन्डौली, 29–द्वारा, 30–रायपुर, 31–मियांवाला पटवारी सर्किलें, रायपुर (जनगणना शहर), देहरादून (नगरनिगम) के वार्ड सं0 13, 15, 20, 26, 29, 35, 36, 44 और 46 ।
20–राजपुर रोड (अ0जा0)	3–देहरादून तहसील में देहरादून (नगरनिगम) के वार्ड सं0 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 18, 21, 24, 30, 33, 34, 41, 48, 50, 52, 56 और 60।

21–देहरादून कैन्टोनमेन्ट	3–देहरादून तहसील में देहरादून (कैन्टोनमेन्ट बोर्ड) के वार्ड सं0 1, 2, 3 और एफ.आर.आई एवं कॉलेज एरिया, देहरादून (नगरनिगम) के वार्ड सं0 11, 14, 17, 25, 31, 37, 40, 47, 49, 51, 54, 55, 58 और 59।
22–मसूरी	3–देहरादून तहसील में देहराखास कानूनगो सर्किल की 8–करनपुर खास, 10–कौलागढ़, 11–जाखन, 12–गढ़ी, 13–रिखौली, 14–जोहडी, 15–क्यारकुलीभट्टा पटवारी सर्किलें और रायपुर कानूनगो सर्किल की 16–चामासारी, 17–सिल्ला, 18–सरोना, 19–चलांग पटवारी सर्किलें, मसूरी नगरपालिका परिषद्, देहरादून (कैन्टोनमेन्ट बोर्ड) के वार्ड सं0 4, 5, 6, 7 और देहरादून (नगरनिगम) के वार्ड सं0 5, 19, 22, 27, 32, 38, 39, 57 और लन्ढौर कैन्टोनमेन्ट बोर्ड ।
23–डोईवाला	3–देहरादून तहसील में रायपुर कानूनगो सर्किल की 23–बद्रीपुर, 24–दूधली, 25–नकरौन्दा, 26–बडासीग्रान्ट, 27–मारखमग्रान्ट–I, 28–मारखमग्रान्ट–II, 32–नत्थुवावाला पटवारी सर्किलें; 4–ऋषिकेश तहसील में ऋषिकेश कानूनगो सर्किल की 3–माजरीग्रान्ट, 5–भोगपुर, 6–गडूल, 7–सनगाँव, 8–बरकोटमॉफी, 9–रानीपोखरी ग्रान्ट, 10–रामनगर डाण्डा, 11–भनियावाला, 12–सिन्धवालगाँव, 13–जोली ग्रान्ट पटवारी सर्किलें, डोईवाला नगर पंचायत, रामगढ़ रेंज और थानो फॉरेस्ट रेंज ।
24–ऋषिकेश	4–ऋषिकेश तहसील में ऋषिकेश कानूनगो सर्किल की 1–ऋषिकेश, 2–छिद्दरवाला, 4–रायवाला पटवारी सर्किलें और वीरभद्र (आई.टी.एस), प्रतीतनगर (जनगणना शहर)–वार्ड सं0 1 और ऋषिकेश नगरपालिका।
जिला – हरिद्वार	
25–हरिद्वार	2–हरिद्वार तहसील में हरिद्वार (म्युनिसिपल बोर्ड) के वार्ड सं0 1 से 20।
26–बी.एच.ई.एल. रानीपुर	2–हरिद्वार तहसील में बी.एच.ई.एल. रानीपुर एन.ए.सी., ज्वालापुर कानूनगो सर्किल की 02–अहमदपुर कडच, 03–ज्वालापुर, 04–बहादराबाद, 09–सलेमपुर महदूद–I, 10–सलेमपुर महदूद–II, 11–आन्नेकी हेत्तमपुर, 12–औरंगाबाद पटवारी सर्किलें और हरिद्वार (म्युनिसिपल बोर्ड) के वार्ड सं0 21 से 27, गुरूकुल कांगडी (ओ.जी.) –वार्ड सं0 28 और ज्वालापुर महाविद्यालय (ओ.जी.)–वार्ड सं0 29।
27–ज्वालापुर (अ0जा0)	2–हरिद्वार तहसील में ज्वालापुर कानूनगो सर्किल की 01–शेखुपुर उर्फ कनखल, 05–बोडाहेडीमोहीउद्दीनपुर, 06–अतमलपुर बोगंला, 07–रूहेलकी किशनपुर, 08–मीरपुर मवाजपुर, 13–गढ़,

	14–शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला, 15–कोटमुरादनगर, 16–सोहलपुर सिकरोडा, 17–डालूवाला, 18–सहदेवपुर सवाजपुर, 19–मुकरपुर, 20–अलावलपुर, 21–अहमदपुर ग्रान्ट और 22–दादूपुर गोविन्दपुर पटवारी सर्किलें; 1–रूड़की तहसील में भगवानपुर कानूनगो सर्किल की 01–बन्जारेवालाग्रन्ट, 02–नोकाराग्रन्ट, 03–दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद, 04–फतेहउल्लापुर उर्फ तेलपुरा, 05–औरंगजेबपुर, 06–खेड़ी शिकोहपुर, 07–खेरी शिकोहपुर जे0एम0, 08–सिकरोढा–I, 10–मजाहिदपुरसतीवाला और 11–इब्राहिमपुर मसाही पटवारी सर्किलें।
28–भगवानपुर (अ0जा0)	1–रूड़की तहसील में भगवानपुर कानूनगो सर्किल की 09–सिकरोढा–II, 12–हबीबपुर निवादा, 13–मानक मजरा, 14–जलालापुर डाडा, 15–हसनपुर मदनपुर, 16–छपरशेर अफगनपुर, 17–लतीफपुर खुब्बनपुर, 21–भगवानपुर, 22–हल्लूमजरा पटवारी सर्किलें, वन क्षेत्र, इकबालपुर कानूनगो सर्किल की 09–करोन्दी, 18–सिकन्दरपुर भैंसवाल, 19–सिरचन्दी, 20–खेलपुर नसरूलापुर, 24–रूहालकी दयालपुर, 25–कुन्जा बहादरपुर, 26–चुडियाला मोहनपुर, 27–भलस्वागाज, 28–बिन्दुखडक, 29–बहेडेकी सैदाबाद और 30–मानकपुर आदमपुर पटवारी सर्किलें ।
29–झबरेड़ा (अ0जा0)	1–रूड़की तहसील में इकबालपुर कानूनगो सर्किल की 01–डेलना, 02–हरजोलीझोझा, 03–तांसीपुर, 04–महमूदपुर, 05–पनियाला चन्दापुर, 06–इकबालपुर कमेलपुर, 07–माधोपुर हजरतपुर, 08–नन्हेरा अनन्तपुर, 10–सालियर साल्हापुर पटवारी सर्किलें, मंगलोर कानूनगो सर्किल की 15–लखनोता, 16–झबरेडी कलां, 17–शेरपुर खेलमऊ, 18–कोट्वाल आलमपुर, 19–झबरेड़ा, 20–लथारदेवहुन, 21–थीथकी कवादपुर, 22–कुरडी, 23–उदलहेडी पटवारी सर्किलें और झबरेड़ा एन.ए.सी. ।
30–पिरनकलियार	1–रूड़की तहसील में रूड़की कानूनगो सर्किल की 11–गुमावाला, 12–इमलीखेडा धर्मपुर, 13–मोहम्मदपुर पण्डा, 14–रामपुर, 17–पिरनकलियार, 18–धनौरी, 19–दौलतपुर, 20–बढेडीराजपूतान, 21–भौंरी, 22–मरगूनपुर दीदाहेडी, 23–डन्ढेली खवाजगीपुर, 24–बेलड़ा पटवारी सर्किलें और भगवानपुर कानूनगो सर्किल का 23–दरियापुर दयालपुर पटवारी सर्किल ।
31–रूड़की	1–रूड़की तहसील में रूड़की कानूनगो सर्किल की 15–रूड़की 16–मलकपुर लतीफपुर, 27–बिझोली पटवारी सर्किलें, रूड़की कैन्टोनमेन्ट बोर्ड और रूड़की म्युनिसिपल बोर्ड ।

32–खानपुर	1–रूड़की तहसील में रूड़की कानूनगो सर्किल की 24ए–राजपुर मुस्तफाबाद उर्फ गाधोरोना, 25–लण्ढोरा, 26–शिकारपुर, 28–डन्ढेरा, 29–जोरासी, 25ए–टोडाकल्याणपुर पटवारी सर्किलें, डन्ढेरा जनगणना शहर, मोहनपुर मोहम्मदपुर जनगणना शहर, लन्दौरा एन.ए.सी. और 3–लकसर तहसील का खानपुर कानूनगो सर्किल ।
33–मंगलोर	1–रूड़की तहसील में मंगलोर कानूनगो सर्किल की 01–लिब्बरहेडी, 02–मंगलौर, 03–भगवानपुर चन्दनपुर, 04–बन्हेडाटण्डा, 05–मुडलाना, 06–हरजोलीजट, 07–कगवाली, 08–हरचन्दपुर, 09–मौहम्मदपुरजट, 10–खेडाजट, 11–कल्याणपुर उर्फ नारसन कलां, 12–नगलासलारू, 13–टिकोला कलां, 14–नकीबपुर उर्फ घोसीपुरा पटवारी सर्किलें और मंगलोर म्युनिसिपल बोर्ड ।
34–लक्सर	3–लक्सर तहसील का लक्सर कानूनगो सर्किल और लक्सर एन.ए. सी. ।
35–हरिद्वार ग्रामीण	2–हरिद्वार ग्रामीण तहसील का फेरूपुर रामखेड़ा कानूनगो सर्किल ।
जिला – गढ़वाल	
36–यमकेश्वर	7–यमकेश्वर तहसील; 5–लैन्सडौन तहसील का सिलोगी कानूनगो सर्किल, लैन्सडौन कानूनगो सर्किल की 41–लंगूरपल्ला–3, 42–लंगूरपल्ला–4, और 43–सीला–1 पटवारी सर्किलें; 6–कोटद्वार तहसील का पोखाल कानूनगो सर्किल, दोगड्डा कानूनगो सर्किल की 77–सीला–।, 78–सीला–2, 79–सीला–3, 80–सीला–4, 81–सीला–5, 82–लंगूरपल्ला–।, 83–लंगूरपल्ला–2, 84–लंगूरपल्ला–3 तथा 85–लंगुर पल्ला–4 पटवारी सर्किलें और दोगड्डा म्युनिसिपल बोर्ड ।
37–पौड़ी (अ0जा0)	2–पौड़ी तहसील की पौड़ी कानूनगो सर्किल, पौड़ी नगरपालिका, कोट, नाहसैण, मुण्डनेश्वर और अगरोड़ा कानूनगो सर्किलें; 1–श्रीनगर तहसील में श्रीनगर कानूनगो सर्किल की 232–रावतस्यूं, 233–बनगढ़स्यूं और 234–इडवालस्यूं–1 पटवारी सर्किलें।
38–श्रीनगर	1–श्रीनगर तहसील में श्रीनगर कानूनगो सर्किल की 229–कटूल स्यूं–1, 230–कटूलस्यूं–2, 231–कटूलस्यूं–3, 235–चलणस्यूं–1, 236–चलणस्यूं–2, 237–चलणस्यूं–3, 238–चलणस्यूं–4 पटवारी सर्किलें और श्रीनगर म्युनिसिपल बोर्ड; 3–थलीसैण तहसील की चाकीसैन और थलीसैण कानूनगो सर्किलें; 2–पौड़ी तहसील में (#) पाबौ कानूनगो सर्किल की 164–घुड़दौडस्यूं–1, 165–घुड़दौडस्यूं–2, 166–घुड़दौड़स्यूं–3, 169–बिडोलस्यूं, 170–बालीकन्डारस्यूं–1, 171–बालीकन्डारस्यूं–2, 172–बालीकन्डारस्यूं–3 और

	173–बालीकन्डारस्यूं–4 पटवारी सर्किलें ।
39–चौबट्टाखाल	8–चौबटट्राखाल तहसील; 9–सतपुली तहसील और 3–थलीसैण तहसील का बिरोंखाल कानूनगो सर्किल ।
40–लैन्सडौन	4–धुमाकोट तहसील; 5–लैन्सडौन तहसील में रिखणीखाल कानूनगो सर्किल, लैन्सडौन कानूनगो सर्किल की 38–कौड़िया–2, 39–कौड़िया–3, 40–कौड़िया–4, 44–तल्ला बादलपुर–1, 45–तल्ला बादलपुर–2, 46–तल्ला बादलपुर–3 पटवारी सर्किलें और लैन्सडौन कैन्ट बोर्ड ।
41–कोटद्वार	6–कोटद्वार तहसील में दुगड्डा कानूनगो सर्किल की 73–सुखरौं, 74–स्नेह, 75–हल्दूखाता, 76–मोटाढ़ाक पटवारी सर्किलें और कोटद्वार म्युनिसिपल बोर्ड ।
(#) पाबौ कानूनगो सर्किल का शेष भाग चौबट्टाखाल तहसील में सम्मिलित	
जिला – पिथौरागढ़	
42–धारचूला	1–मुनस्यारी तहसील और 2–धारचूला तहसील ।
43–डीडीहाट	3–डीडीहाट तहसील की डीडीहाट, मुवानी, कनालीछिना और अस्कोट कानूनगो सर्किलें; 5–पिथौरागढ़ तहसील में सातशिलिंग कानूनगो सर्किल की 10–बीसाबजेड़, 11–टोटानौला, 13–खर्कदोली, 14–मड़मानले, 15–बन्दा पटवारी सर्किलें, मूनाकोट कानूनगो सर्किल की 17–मूनाकोट, 23–गौड़ीहाट, 24–माजिरकांडा, 25–दोली पटवारी सर्किलें, डीडीहाट नगरपंचायत और वन क्षेत्र ।
44–पिथौरागढ़	5–पिथौरागढ़ तहसील की पिथौरागढ़, गुरना कानूनगो सर्किलें, मूनाकोट कानूनगो सर्किल की 18–कोटली, 19–नाघर, 20–बद्री, 21–मड़सौन, 22–कुतैब पटवारी सर्किलें, सातशिलिंग कानूनगो सर्किल की 9–जीबी, 12–नैनी सैनी, 16–सटगल पटवारी सर्किलें और पिथौरागढ़ नगर परिषद्।
45–गंगोलीहाट (अ0जा0)	4–गंगोलीहाट तहसील; 3–बेरीनाग तहसील की बेरीनाग और थाल कानूनगो सर्किलें ।
जिला – बागेश्वर	
46–कापकोट	1–बागेश्वर तहसील में बागेश्वर कानूनगो सर्किल की 2–आरे, 8–खुनौली, 10–घिघारतोला, 11–चौरा, 14–तुपेड़, 20–विलखेत पटवारी सर्किलें; 2–कान्डा तहसील और कापकोट तहसील ।
47–बागेश्वर (अ0जा0)	1–गरूड़ तहसील; 2–बागेश्वर तहसील का काफलीगैर कानूनगो सर्किल, बागेश्वर कानूनगो सर्किल की 13–तल्ला कत्यूर, 15–डुग बागेश्वर, 21–रवाईखाल पटवारी सर्किलें और बागेश्वर म्युनिसिपल

	बोर्ड।
जिला – अल्मोड़ा	
48–द्वाराहाट	5–चौखुटिया तहसील और 7–द्वाराहाट तहसील ।
49–सल्ट	4–सल्ट तहसील; 1–भिकियासेन तहसील की 3–मनिला, 4–स्याल्दे कानूनगो सर्किलें और 1–भिकियासेन कानूनगो सर्किल का 9–रोटापानी पटवारी सर्किल ।
50–रानीखेत	1–भिकियासेन तहसील का 2–माचोर कानूनगो सर्किल, 1–भिकियासेन कानूनगो सर्किल की 1–भिकियासेन, 2–डोब, 3–बौली, 4–सिंगोली, 5–बतुला, 6–बिनौली, 7–सनारा और 8–बंगोरा पटवारी सर्किलें; 2–रानीखेत तहसील की 2–तारीखेत, 3–जलाली कानूनगो सकिलें, 1–रानीखेत कानूनगो सर्किल की 1–रानीखेत सदर, 2–पन्तकोटुली, 3–करचुली पटवारी सर्किलें और रानीखेत (कैन्टोनमेन्ट बोर्ड) ।
51–सोमेश्वर (अ0जा0)	6–सोमेश्वर तहसील; 2–रानीखेत तहसील में 1–रानीखेत कानूनगो सर्किल की 4–चौकुनी, 5–दुगौड़ा, 6–पाखुड़ा, 7–सूरी, 8–गड़श्यारी, 9–शहारौं, 10–कुनवाली, 11–नैणी, 12–रियूनी, 13–मल्ली रियूनी और 14–डीडा पटवारी सर्किलें; 3–अल्मोड़ा तहसील में 1–हवालबाग कानूनगो सर्किल की 3–दौलाघट, 4–खौड़ी, 5–गोबिन्दपुर, 6–काटारमल, 7–क्वैराली, 8–कठपुड़िया और 9–शीतलाखेत पटवारी सर्किलें ।
52–अल्मोड़ा	3–अल्मोड़ा तहसील का 2–अल्मोड़ा कानूनगो सर्किल, 3–पनुवानौला कानूनगो सर्किल की 1–लिंगुणता, 2–त्रिनैली, 3–न्योली, 4–पल्यों पटवारी सर्किलें, 1–हवालबाग कानूनगो सर्किल की 1–हवालबाग, 2–पाखुड़ा, 10–सैन्ज, 11–डोबा, 12–खुँट, 13–धामस, 14–ज्योली पटवारी सर्किलें, अल्मोड़ा म्युनिसिपल बोर्ड और अल्मोड़ा कैन्टोनमेन्ट बोर्ड ।
53–जागेश्वर	8–जैंती तहसील; 9–भनोली तहसील; 3–अल्मोड़ा तहसील का 4–लमगढ़ा कानूनगो सर्किल और 3–पनुवानौला कानूनगो सर्किल का 5–तोली पटवारी सर्किल ।
जिला – चम्पावत	
54–लोहाघाट	3–पाटी तहसील; 4–लोहाघाट तहसील और 5–बाराकोट उप–तहसील ।
55–चम्पावत	1–चम्पावत तहसील और 2–श्री पुर्णागिरी तहसील ।

जिला – नैनीताल	
56–लालकुवां	6–लालकुवां तहसील; 5–हल्द्वानी तहसील का काठगोदाम कानूनगो सर्किल और लालकुवां कानूनगो सर्किल का 60–अर्जुनपुर पटवारी सर्किल ।
57–भीमताल	4–धारी तहसील; 3–नैनीताल तहसील का रामगढ़ कानूनगो सर्किल, भीमताल कानूनगो सर्किल की 26–चांफी, 27–पान्डेगॉव, 28–पूर्व छखाता, 29–रौसिल, 54–पिनरॉन पटवारी सर्किलें और भीमताल नगर पालिका ।
58–नैनीताल (अ0जा0)	1–बेतालघाट तहसील; 2–कोश्यां कुटोली तहसील; 3–नैनीताल तहसील में भीमताल कानूनगो सर्किल की 24–भवाली, 25–पश्चिम छखाता पटवारी सर्किलें, बगड़ कानूनगो सर्किल की 31–खुर्पाताल, 32–मंगोली, 33–बगड़, 34–स्यात, 35–तल्लाकोटा, 36–सौढ़, 37–अमगढ़ी पटवारी सर्किलें, वन क्षेत्र, नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड, नैनीताल कैन्टोनमेन्ट बोर्ड और भोवाली म्युनिसिपल बोर्ड ।
59–हल्द्वानी	5–हल्द्वानी तहसील में हल्द्वानी–एवं–काठगोदाम, (म्युनिसिपल बोर्ड + बाह्य विकास) के वार्ड सं0 1 से 25, दमुवाढूंगा बन्दोबस्ती (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 26, कोर्ता (चानमारी मोहल्ला) (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 27, ब्युरा (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 28, बामोरी मल्ली (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 29, बामोरी तल्ली बन्दोबस्ती अमरावती कॉलोनी, शक्ति विहार, भट्ट कॉलोनी (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 30 और बामोरी तल्ली खान (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 31 ।
60–कालाढूँगी	7–कालाढूँगी तहसील; 3–नैनीताल तहसील में बगड़ कानूनगो सर्किल का 30–चौपड़ा पटवारी सर्किल; 5–हल्द्वानी तहसील में हल्द्वानी कानूनगो सर्किल की 63–हल्द्वानी खास, 66–लामाचौड़, 67–फतेहपुर, 68–भगवानपुर, 69–कामलुवागान्जा, 71–लोहारियाशाल, 73–देवालचौर, 74–कुसुमखेड़ा पटवारी सर्किलें, लालकुवां कानूनगो सर्किल की 70–चान्दनीचौक, 75–आनन्दपुर पटवारी सर्किलें, हल्द्वानी एवं काठगोदाम (म्युनिसिपल बोर्ड + बाह्य विकास) के मुखानी (रूपनगर, बसन्त विहार कॉलोनी तथा वकीलों का जजस फार्म) (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 32, मानपुर उत्तर (पालिका यातायात नगर) (बाह्य विकास)– वार्ड सं0 33, हरीपुर सुखा (वैन कैन्सर

	अस्पताल) (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 34, हल्द्वानी तल्ली (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 35, गोजाजाल्ली उत्तर (शिशु भारतीय विद्या मन्दिर) (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 36, कुसुम खेरा (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 37, बिठौरिया नं0–1 (बाह्य विकास)–वार्ड सं0 38 और वन क्षेत्र ।
61–रामनगर	8–रामनगर तहसील ।
	जिला – उधमसिंह नगर
62–जसपुर	5–जसपुर तहसील; 4–काशीपुर तहसील का 1–कुण्डा कानूनगो सर्किल।
63–काशीपुर	4–काशीपुर तहसील में 2–पैंगा कानूनगो सर्किल की 3–पैंगा, 6–खोखराताल, 7–बांसखेड़ा, 8–बसई पटवारी सर्किलें, 3–काशीपुर कानूनगो सर्किल की 10–महेशपुरा, 11–धनौरी पट्टी, 12–गोपीपुरा, 13–गंगापुर गुसांई, 14–मानपुर पटवारी सर्किलें, काशीपुर म्युनिसिपल बोर्ड और रामनगर वन क्षेत्र ।
64–बाजपुर (अ0जा0)	4–काशीपुर तहसील में 2–पैंगा कानूनगो सर्किल की 2–रजपुरानी रानी, 4–बरखेड़ा पाण्डे, 5–दभौरा पटवारी सर्किलें, 3–काशीपुर कानूनगो सर्किल की 9–ढकियाकलां, 15–प्रतापपुर, 16–कुन्डेश्वरी पटवारी सर्किलें और महुवाखेड़ागंज टी.ए.सी.; 6–बाजपुर तहसील में 1–बाजपुर–I कानूनगो सर्किल की 3–महोली जंगल, 4–हजीरा, 5–बरहैनी, 6–हरीपुरा, 7–बैरिया दौलत, 8–भजुवानगला पटवारी सर्किलें, 2–बाजपुर–II कानूनगो सर्किल की 12–गुलजारपुर, 13–रम्पुराशाकर, 14–सुल्तानपुर, 15–फरीदपुर, 16–विक्रमपुर, 17–जोगीपुरा, 18–बिराहा, 20–महेशपुरा, 21–खुशालपुर, 22–रतनपुर, 23–बेतखेड़ी पटवारी सर्किलें, क–म्युनिसिपल बोर्ड बाजपुर, सुल्तानपुर टी.ए.सी. और बन्ना खेड़ा वन क्षेत्र ।
65–गदरपुर	6–बाजपुर तहसील मे 1–बाजपुर–I कानूनगो सर्किल की 1–केलाखेड़ा, 2–चकरपुर, 9–बरवाला, 10–गणेशपुर, 11–बद्रीपुर पटवारी सर्किलें, 2–बाजपुर–II कानूनगो सर्किल का 19–मुड़ियाकलां पटवारी सर्किल और ग–टी.ए.सी. केलाखेड़ा; 7–गदरपुर तहसील का 1–गदरपुर कानूनगो सर्किल, 2–दिनेशपुर कानूनगो सर्किल की 8–कुल्हा, 9–धनपुर विजयपुर, 13–विजयनगर पटवारी सर्किलें, पीपल पड़ाव वन क्षेत्र, दिनेशपुर टी.ए.सी. और गदरपुर म्युनिसिपल बोर्ड ।
66–रूद्रपुर	7–गदरपुर तहसील में 2–दिनेशपुर कानूनगो सर्किल की 10–बरीराई, 11–मेहतोष, 12–चन्दायन और 14–अमरपुर पटवारी सर्किलें; 3–किच्छा तहसील में 2–रूद्रपुर कानूनगो सर्किल की 20–रम्पुरा,

	22–दानपुर, 23–मटकोटा, 24–कल्याणपुर पटवारी सर्किलें, टांडा वन क्षेत्र और रूद्रपुर म्युनिसिपल बोर्ड ।
67–किच्छा	3–किच्छा तहसील में 1–किच्छा कानूनगो सर्किल की 4–नजीमावाद, 5–भंगा, 6–सिरोलीकलां, 7–किच्छा, 8–इन्द्रपुर, 10–जवाहरनगर, 11–नगला पटवारी सर्किलें, डौली वन क्षेत्र, 2–रूद्रपुर कानूनगो सर्किल की 12–छिनकी, 13–दरऊ, 14–कुरैय्या, 15–चुकटी, 16–भमरौला, 17–शिमला पिस्तौर, 18–कनकपुर, 19–देवरिया, 21–फूलबाग पटवारी सर्किलें और किच्छा म्युनिसिपल बोर्ड ।
68–सितारगंज	2–सितारगंज तहसील में 1–सितारगंज कानूनगो सर्किल की 1–कुंवरपुर, 2–तिलियापुर, 3–नकहा, 4–नकुलिया, 5–पिन्डरी, 6–बरूवाबाग, 9–रम्पुरा, 10–रूदपुर, 11–नकटपुरा, 12–सरकड़ा, 13–सितारगंज पटवारी सर्किलें, सितारगंज म्युनिसिपल बोर्ड और शक्तिगढ़ टी.ए.सी.; 3–किच्छा तहसील में 1–किच्छा कानूनगो सर्किल की 1–फिरोजपुर, 2–बरा, 3–शहदौरा और 9–कोटखर्रा पटवारी सर्किलें।
69–नानकमत्ता (अ0ज0जा0)	2–सितारगंज तहसील का 2–नानकमत्ता कानूनगो सर्किल, 1–सितारगंज कानूनगो सर्किल की 7–बिजटी, 8–मैनाझुन्डी पटवारी सर्किलें, बराखोली फौरेस्ट रैंन्ज और रैखाल फौरेस्ट रैंन्ज; 1–खटीमा तहसील में 1–खटीमा कानूनगो सर्किल की 1–उमरूखुर्द, 3–गुरखेड़ा, 4–झनकट, 5–पहेनिया, 7–नौगवांठगू, 8–मुण्डेली और 10–फुलैया पटवारी सर्किलें ।
70–खटीमा	1–खटीमा तहसील में 1–खटीमा कानूनगो सर्किल की 2–सरपुरा, 6–जरासु परतापुर, 9–बड़ी अंजनियां, 11–सिसैया, 12–मझोला, 13–नगला तराई, 14–जादोपुर, 15–हल्दी, 16–सुनपहर पटवारी सर्किलें, क–म्युनिसिपल बोर्ड–खटीमा, झनकइया फौरेस्ट रैंन्ज, 2–महोप फौरेस्ट रैंन्ज, 2–बिगराबाग कानूनगो सर्किल, दोगाड़ी फौरेस्ट रैंन्ज, खटीमा फौरेस्ट रैंन्ज, किलपुरा फौरेस्ट रैंन्ज और लोहिया हैड फौरेस्ट रैंन्ज ।

सारणी–ख

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और उनका विस्तार

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम व कम संख्या	विस्तार
1–टिहरी गढ़वाल	1–पुरोला (अ0जा0), 2–यमुनोत्री, 3–गंगोत्री, 9–घनशाली (अ0जा0), 12–प्रतापनगर, 13–टिहरी, 14–धनोल्टी, 15–चकराता (अ0ज0जा0), 16–विकासनगर, 17–सहसपुर, 19–रायपुर, 20–राजपुर रोड (अ0जा0),

	21–देहरादून कैंट और 22–मसूरी ।
2–गढ़वाल	4–बद्रीनाथ, 5–थराली (अ0जा0), 6–कर्णप्रयाग, 7–केदारनाथ, 8–रूद्रप्रयाग, 10–देवप्रयाग, 11–नरेन्द्रनगर, 36–यमकेश्वर, 37–पौड़ी (अ0जा0), 38–श्रीनगर, 39–चौबट्टाखाल, 40–लैन्सडौन, 41–कोटद्वार और 61–रामनगर ।
3–अल्मोड़ा (अ0जा0)	42–धारचूला, 43–डीडीहाट, 44–पिथौरागढ़, 45–गंगोलीहाट (अ0जा0), 46–कापकोट, 47–बागेश्वर (अ0जा0), 48–द्वाराहाट, 49–सल्ट, 50–रानीखेत, 51–सोमेश्वर (अ0जा0), 52–अल्मोड़ा, 53–जागेश्वर, 54–लोहाघाट और 55–चम्पावत ।
4–नैनीताल–ऊधमसिंह नगर	56–लालकुवां, 57–भीमताल, 58–नैनीताल (अ0जा0), 59–हल्द्वानी, 60–कालाढूँगी, 62–जसपुर, 63–काशीपुर, 64–बाजपुर (अ0जा0), 65–गदरपुर, 66–रूद्रपुर, 67–किच्छा, 68–सितारगंज, 69–नानकमत्ता (अ0ज0जा0) और 70–खटीमा ।
5–हरिद्वार	18–धरमपुर, 23–डोईवाला, 24–ऋषिकेश, 25–हरिद्वार, 26–बी.एच.ई.एल. रानीपुर, 27–ज्वालापुर (अ0जा0), 28–भगवानपुर (अ0जा0), 29–झबरेड़ा (अ0जा0), 30–पिरनकलियार, 31–रूड़की, 32–खानपुर, 33–मंगलोर, 34–लक्सर और 35–हरिद्वार ग्रामीण ।

नोट : इस सारणी – क में किसी जिला, तहसील, कानूनगो सर्किल, पटवारी सर्किल, नगर पालिका तथा वार्ड या अन्य प्रादेशिक प्रभाग के लिए किसी सदंर्भ का मतलब उस जिला, तहसील, कानूनगो सर्किल, पटवारी सर्किल, नगर पालिका तथा वार्ड या अन्य प्रादेशिक प्रभाग के अन्तर्गत फरवरी मास के 15 (पन्द्रहवें) दिन, 2004 को सम्मिलित क्षेत्र माने जाएंगे।

ह0/– आर. के. वर्मा सदस्य	ह0/– एन. गोपालास्वामी सदस्य	ह0/– कुलदीप सिंह अध्यक्ष

आदेश से,

(शंगारा राम)
सचिव